राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर

क्रमांकः एफ3 / मु. / याता. / निरी. / 15 / 470 दिनांकः 01/09/15

समस्त मुख्य प्रबन्धक
राजस्थान परिवहन निगम
.... आगार

वर्तमान में यातायात निरीक्षक, सहायक यातायात निरीक्षक एवं सक्षम अधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किये जाने पर निगम की बसों में वास्तविक चालक / परिचालक के स्थान पर अनाधिकृत व्यक्तियों के द्वारा चालक / परिचालक का कार्य संपादित करने के काफी प्रकरण पकडे जा रहे है। जबकि निगम की बसों में चल रहे क्रु (चालक / परिचालक) एक–दूसरे से भली भांति परिचित होते है। इसके पश्चात भी यदि निगम की बसों में कोई अनाधिकृत व्यक्ति चालक / परिचालक के रूप में कार्य करता हुआ पाया जाता है, तो उसके विरूद्व संबधिंत पुलिस थाने मे एफ.आई.आर. दर्ज की जावेगी। इसके अतिरिक्त अनाधिकृत चालक / परिचालक के साथ–साथ क्रु के साथ चल रहे मूल परिचालक / चालक की भी इस अवैध कार्य में मिलिभगत मानते हुए, उसके विरूद्व भी सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावें।

किन्तु मूल चालक / परिचालक समय पर उक्त केस के संबंध में केन्द्रीय नियन्त्रण कक्ष (आवश्यक) एवं आगार के मुख्य प्रबन्धक को सूचित कर देता है तो उसके विरूद्व कार्यवाही नहीं की जावे।

उक्तानुसार निगम की बसों में वास्तविक चालक / परिचालक के स्थान पर अन्य अनाधिकृत व्यक्ति ड्यूटी पर पाये जाने पर प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए निरीक्षक उनके विरूद्व संबधिंत पुलिस थाने में धारा 170 (Impersonating a public servant) एंव 120B(Punishment of criminal conspiracy) के तहत एफ.आई.आर. दर्ज की जावें।

उक्त निर्देशों की पालना कठोरता से की जावें।

01/9/15

(राकेश राजोरिया)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)

क्रमांकः एफ3 / मु. / याता. / निरी. / 15 / 470 दिनांकः 01/09/15

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजि सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक राज.परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर
2. समस्त विभागाध्यक्ष .... राज. परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर
3. श्री.. प्रबन्धक (यातायात / संचालन) / यातायात निरीक्षक / सहायक यातायात निरीक्षक द्वारा मुख्य प्रबन्धक
4. आदेश पत्रावली

01/9/15

कार्यकारी प्रबन्धक (चैकिंग)